बिहार
शिक्षा
परियोजना
परिषद

संस्था का स्मृति पत्र
एवं
नियमावली

पटना

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद

संस्था का स्मृति पत्र
एवं
नियमावली

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, शास्त्री नगर,
पटना - 800 23

No. 3096

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण - पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 103 | वर्ष 1991-1992

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट २१, १८६० के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख तेरह मास मई वर्ष उन्नीस सौ इकानवे को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

ह./-

नवीन

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना

नवम्बर, १९९५

निजी वितरण हेतू

प्रस्तावना

"बिहार शिक्षा परियोजना" की संकल्पना वर्ष **1989-90** में की गयी। फरवरी 1990 में बिहार सरकार तथा भारत सरकार द्वारा एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया, जिसमें परियोजना के दर्शन, सिद्धांत एवं लक्ष्यों का उल्लेख है। इसी वर्ष मार्च में थाइलैंड के जोमेतियन शहर में ***"सबों के लिये शिक्षा"*** पर एक विश्व-सम्मेलन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सहयोग देने के लिये तत्पर हुईं। यूनिसेफ ***"बिहार शिक्षा परियोजना"*** के साझेदार बने।

"बिहार शिक्षा परियोजना" के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् का निबंधन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट - 21/1860 के अधीन दिनांक 13-5-1991 को हुआ।

संस्था के स्मृति पत्र में परियोजना के विभिन्न उद्देश्यों को अंकित किया गया है, जिसकी स्पष्ट जानकारी परियोजना से जुड़ने वाले सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी है। साथ ही, परियोजना की नियमावली भी इसके लक्ष्यों की प्राप्ति में तथा कार्य को मिशन-भावना से करने में सहायक होगी।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् का ***"स्मृतिपत्र एवं नियमावली"*** का पुनर्मुद्रण इसी दृष्टि से किया गया है कि इसकी प्रतियाँ परियोजना में पूर्ण/अंशकालीन रूप से कार्य करनेवाले सभी कर्मियों के पास उपलब्ध रहे और वे इससे दिशा-निर्देश प्राप्त करते रहें।

मदन मोहन झा
परियोजना निदेशक

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
संस्था का स्मृति पत्र

(1) संस्था का नाम बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् होगा (इसके बाद उसे परिषद् के रूप में संदर्भित किया गया है।)

(2) परिषद् का निबंधित कार्यालय विकास भवन, पटना - 800015 में अवस्थित होगा।

(3) **उद्देश्य :**

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी निकाय के रूप में बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य करेगा जैसा कि फरवरी, 1990 में बिहार सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज में निर्देशित है एवं समय-समय पर संयुक्त पुनरीक्षण द्वारा संशोधित और तैयार परियोजना दस्तावेज में निर्देशित किया जाएगा। परिषद् का क्रियाकलाप चुने हुए जिलों में सीमित होगा लेकिन कुछ चुनी हुई एवं सहाय्य परियोजनाओं के लिए इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार के क्षेत्र में हो सकता है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्त्तन हेतु एवं इसके द्वारा सम्पूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्त्तन हेतु सामाजिक मिशन के रूप में कार्य करने के लिए परिषद् की स्थापना की गई है।

बिहार शिक्षा परियोजना के निम्नांकित विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्त्ति का प्रयास परिषद् द्वारा किया जाएगा।

(क) प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण जो निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु समग्र कार्यक्रम के रूप में देखा जाएगा :-

1. 14 आयुवर्ग के सभी बच्चों के प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभ बनाना।
2. सर्वव्यापी भागीदारी - जबतक सभी बच्चे औपचारिक या अनौपचारिक माध्यम से प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूरी करते हैं।
3. सभी बच्चों में न्यूनतम् अधिगम स्तर की संप्राप्ति।

(ख) 15 से 35 आयुवर्ग के सभी वयस्कों के बीच व्याप्त निरक्षरता का व्यापक उन्मूलन और कार्यात्मक साक्षरता शिक्षा सुनिश्चित करना तथा युवाओं और वयस्कों के बीच उत्तर साक्षरता, अनवरत शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाना।

(ग) महिलाओं के लिए समानता और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना।

(घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के निर्धन वर्ग को शिक्षा का समान अवसर का प्रावधान करने के लिए आवश्यक उपाय करना।

(ड.) शिक्षा को कार्य एवं लोगों के रहन-सहन के साथ सम्बद्ध करना - जो उनकी आजीविका की समस्या, पर्यावरण की समस्या और माँ तथा बच्चों की जीवन रक्षा की समस्या को दूर कर सकने की क्षमता का विकास कर सकेगा।

(च) संस्कृति एवं संचार, विज्ञान एवं पर्यावरण और सामाजिक न्याय की भावना पैदा करने संबंधी विभिन्न शैक्षिक क्रिया-कलापों पर विशेष बल देना।

(4) कार्य :

उपर्युक्त उद्देश्यों की संप्राप्ति हेतु परिषद् के निम्नांकित कार्य होंगे जो परिषद् के कार्यालय एवं इसके स्टाफ द्वारा सीधे किए जाएँगे या परिषद् द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त संस्थाओं, अभिकरणों या व्यक्तियों द्वारा किए जाएँगे।

(क) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए और विशेषकर उपरोक्त कंडिका-3 में अंकित उद्देश्यों की संप्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायतशासी निकायों की प्रतिभागिता से एक प्राधिकृत प्रशासनिक क्षेत्र की संरचना करना।

(ख) परिषद् के उद्देश्यों की संप्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायत्तशासी निकायों की प्रतिभागिता से एक प्राधिकृत प्रशासनिक क्षेत्र की संरचना करना।

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु शाखा कार्यालय के रूप में जिला कार्य बल की स्थापना करना और मंडल, जिला, अनुमण्डल, प्रखंड एवं ग्राम-स्तर पर उपयुक्त अन्य क्षेत्रों की स्थापना करना और उन्हें अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करना।

(घ) शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्ध शैक्षिक संस्थाओं, स्वैच्छिक अभिकरणों, शिक्षक संगठनों और व्यक्तियों की सक्रिय संलग्नता एवं प्रतिभागिता प्राप्त करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(ड.) प्रशिक्षण प्रक्रिया एवं सजगता-निर्माण के माध्यम से लोगों की संलग्नता द्वारा बुनियादी शिक्षा में प्रभावी विकेन्द्रीकरण लाना और समुचित संरचना विकसित करना- औपचारिक या अन्य।

(च) परिषद् के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षकों की रचनात्मक प्रतिभागिता प्राप्त करना। इसके लिए औपचारिक या अनौपचारिक संरचनाएँ संस्थापित करना।

(छ) बुनियादी शिक्षा में नए प्रयोग करना एवं नवाचार का कार्यक्रम शुरू करना।

(ज) बुनियादी शिक्षा और इसके प्रबंधन से संबंधित अनुसंधान एवं अध्ययन का कार्य करना एवं उसे बढ़ावा देना।

(झ) वर्त्तमान में उपलब्ध संस्थाओं को सुसज्जित करके या नई संस्थाएँ स्थापित कर तकनीकी संसाधन सहायता को सुनिश्चित करना।

(ञ) बुनियादी शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकार को परामर्श देना।

(ट) परियोजना से संबंधित विषयों पर सम्मेलन, विचार-गोष्ठी, कार्यशाला आदि का आयोजन करना।

(ठ) शैक्षिक सामग्री का निर्माण एवं उत्पादन करना और उसका विस्तार करना।

(ड) परिषद् में शैक्षिक, तकनीकि, प्रशासनिक एवं प्रबंधन तथा अन्य पदों का सृजन करना और परिषद् के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार उनका भुगतान करना।

(ढ) परिषद् के कार्यो को संचालित करने के लिए नियम एवं अधिनियम बनाना और समय-समय पर उनके परिवर्द्धन या संशोधन करना, परिवर्त्तन या निरस्त करना।

(त) किसी भी प्रकार की राशि-अनुदान, सुरक्षा निधि या सम्पत्ति स्वीकार करना और किसी भी दान, न्यास, निधि या चंदे का प्रबंधन दायित्व लेना और स्वीकार करना जिसका उद्देश्य परिषद् के उद्देश्यों के विरोधी न हो।

(थ) आय-व्ययक तैयार कर अर्थनीति के अंतर्गत और ईमानदारी पूर्वक राशि खर्च करना।

(द) परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा जोखा तैयार करना।

(ध) परिषद् के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यकतानुसार भवन खरीदना, किराये या पट्टे पर लेना, सम्पत्ति का आदान-प्रदान करना या अधिग्रहण करना, भवन बदलना और भवन का रख-रखाव करना।

(न) ऐसे और कार्य करना जो परिषद् के उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए आवश्यक हो।

(5) धन और सम्पत्ति :

किसी भी श्रोत से परिषद् को प्राप्त आय और धन का उपयोग परिषद् के स्मृति - पत्र में निर्धारित उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए किया जाएगा। बिहार सरकार या भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की राशि सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई गई सीमाओं के अन्दर खर्च की जाएगी। परिषद् की आय या धन का कोई भी अंश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभांश, अधिलाभ या अन्य किसी लाभ के रूप में किसी भी व्यक्ति को जो परिषद् का सदस्य रह चुका है, भुगतान या हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा। परिषद् की सेवा करने वाले किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को यात्रा-भत्ता, मानदेय, पारिश्रमिक, ठहराव भत्ता या अन्य सदृश परिव्यय का भुगतान परिषद् द्वारा किया जायेगा।

(6) सरकार का अधिकार

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार संयुक्त रूप से एक या अधिक व्यक्तियों को परिषद् के कार्य एवं प्रगति की समीक्षा हेतु एवं कार्यकलाप की जाँच हेतु नियुक्त कर सकता है और सरकार इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग कर सकती है। प्रतिवेदन के आधार पर सरकार कार्रवाई कर सकती है या आवश्यकतानुसार किसी मामले में निर्देश दे सकनी है और परिषद् उस निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार समय-समय पर संयुक्त रूप से परिषद् के नीतिगत मामले में निर्देश - पत्र जारी कर सकती है और परिषद् इस निर्देश का शीघ्र अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(7) विघटन :

परिषद् का कार्य समाप्त होने पर या विघटित होने पर परिषद् के सारे आदेय एवं कर्ज आदि भुगतान के बाद बची सम्पत्ति इसके सदस्यों के बीच न तो बांटी जायेगी और न भुगतान की जाएगी। इस मामले में राज्य सरकार निर्णय करेगी।

(8) परिषद् के शासनिक निकाय के सदस्यों की सूची पृष्ठ आठ पर दी गई है जिनके जिम्मे परिषद् के नियम एवं संविधान के अनुसार इसका प्रबंधन एवं कार्यकलाप का दायित्व सौंपा जाता है।

(9) परिषद् के नियम एवं संविधान की सही प्रति जो सामान्य परिषद् के तीन सदस्यों द्वारा प्रमाणित की गई है इस स्मृति-पत्र के साथ संलग्न है।

(10) हम सभी व्यक्ति जिनके नाम एवं पते पृष्ठ-5 पर दिए गए हैं, संस्था के स्मृति-पत्र में अंकित उद्देश्यों के लिए स्वयं को इससे सम्बद्ध करते हुए संस्था के स्मृति-पत्र का समर्थन करते हैं और अपना सहयोग देते हुए सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 की धारा XXI के अनुसार एक सोसाईटी गठित करते हैं।

इच्छुक व्यक्ति :

संस्था के समिति पत्र के अनुरूप हम अधोहस्ताक्षरीगण बिहार राज्य के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अधीन एक सोसाइटी बनाने के इच्छुक हैं, जिसका नाम **"बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्"** होगा।

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	कमला प्रसाद	मुख्य सचिव बिहार, पटना	ह./-
2.	अरुण पाठक	विकास आयुक्त बिहार सरकार	ह./-
3.	रामाकान्त श्रीवास्तव	सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग। बिहार सरकार	ह./-
4.	जगदीश मिश्रा	सचिव, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ, एक्जीवीशन रोड, पटना	ह./-
5.	लोकनाथ प्रसाद	सचिव	ह./-
6.	अशोक कुमार चौधरी	सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार बिहार सरकार	ह./-
7.	अमिताभ मुखोपाध्याय	शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001	ह./-
8.	सी.आर. वेंकट रमण	वित्त सचिव बिहार सरकार	ह./-

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् नियमावली

(1) लघु शीर्षक :- इन नियमों को "बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् नियमावली" कहा जा सकता है।

(2) विस्तार क्षेत्र तथा उपयोग :- इन नियमों का परिषद् की सभी इकाईयों तथा कार्यकलाप तक विस्तार होगा।

(3) ये नियम बिहार राज्य में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन जिस तिथि को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, निबंधित हुई, उसी तिथि से प्रभावी होंगे।

(4) परिभाषाएँ :- इन नियमों में, जब तक प्रसंगवश अन्यथा अपेक्षित न हो,

(i) बेसिक एडुकेशन का अर्थ होगा परियोजना के प्रसंग में लिए गए निम्नांकित कार्यकलाप :-

(क) प्रारम्भिक बालपन की देखभाल तथा शिक्षा,

(ख) 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, जो औपचारिक विद्यालय पद्धति के माध्यम से हो अथवा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा,

(ग) वयस्क साक्षरता तथा शिक्षा,

(घ) महिलाओं की समानता तथा अधिकार के उद्देश्यवाले शैक्षिक तथा अन्य कार्यक्रम तथा

(च) उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा, कुशलता के विकास सहित।

(II) केन्द्र सरकार का अर्थ होगा भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग)।

(III) सभापति का अर्थ होगा परिषद् की कार्यकारिणी समिति का सभापति।

(IV) "कार्यकारिणी समिति" का अर्थ होगा धारा 22 के अन्तर्गत गठित परिषद् की कार्यकारिणी समिति नामक समिति।

(V) "दिलचस्पी लेने वाले अभिकरण" का अर्थ होगा (1) केन्द्र सरकार (2) राज्य सरकार, (3) शिक्षक संघ, (4) स्वैच्छिक संस्थाएँ और (5) यूनिसेफ।

(VI) "अनौपचारिक शिक्षा" का अर्थ होगा समान्यत: 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दी जानेवाली प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर के अनुरूप अंशकालिक शिक्षा।

(VII) "पदाधिकारी तथा कर्मचारीगण" का अर्थ होगा परिषद् का पूर्णकालिक कर्मचारी जिसे कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य अधिकारी या पदाधिकारी, जिसे ऐसा कार्य करने को अधिकार सौंपे गए, द्वारा नियुक्त किया गया। इसमें सलाहकार, फेलो तथा शोध कर्मचारीगण समाविष्ट होंगे, राज्य परियोजना निदेशक नहीं।

(VIII) "परिषद्" का अर्थ होगा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्।

(IX) "परियोजना" का अर्थ है बिहार शिक्षा परियोजना जैसा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिपादित किया गया और फरवरी 1990 में प्रकाशित हुआ और संयुक्त समीक्षाओं के आधार पर समय-समय पर रूपान्तरित किया गया तथा सविस्तार प्रतिपादित किया गया।

(X) "अध्यक्ष" का अर्थ होगा परिषद् का अध्यक्ष।

(XI) "प्राथमिक शिक्षा" का अर्थ होगा वर्ग-1 से 5 तक के अनुकूल शिक्षा।

(XII) "राज्य परियोजना निदेशक" का अर्थ होगा परिषद् का परियोजना निदेशक जिसे धारा-20 के अन्तर्गत बिहार सरकार द्वारा नियुक्त किया गया।

(XIII) "राज्य सरकार" का अर्थ होगा बिहार सरकार (मानव संसाधन विकास विभाग)।

(XIV) "तकनीकी संसाधन" का अर्थ होगा (1) पाठ्यक्रम तथा पठन-पाठन सामग्री का विकास, (2) शिक्षण विधियाँ, (3) शिक्षकों का प्रशिक्षण, (4) शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास, (5) माध्यम तथा संचार, तथा (6) शिशिक्षु मूल्यांकन।

(XV) "उच्च प्राथमिक शिक्षा" का अर्थ होगा वर्ग-6 से 8 के अनुकूल शिक्षा।

(XVI) "उपाध्यक्ष" का अर्थ होगा परिषद् का उपाध्यक्ष।

(XVII) "स्वैच्छिक संस्थाएँ" का अर्थ होगा गैर सरकारी संस्थाएँ, जिन्हें परियोजना के अधीन किसी काम को करने के लिए उत्तरदायित्व ऐसे अधिकारी के द्वारा सौंपा गया हो जो ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया। इसमें निबन्धित समितियों, सार्वजनिक न्यास तथा अलाभकारी कम्पनियाँ सम्मिलित होंगी।

(XVIII) (क) एकवचन बताने वाले शब्दों में बहुवचन भी सम्मिलित हैं और बहुवचन वाले में एकवचन।

(ख) पुल्लिंग बताने वाले शब्दों में स्त्रीलिंग भी सम्मिलित हैं।

परिषद् :

(5) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1.	मुख्य मंत्री, बिहार	अध्यक्ष पदेन
2.	प्राथमिक शिक्षा मंत्री, बिहार	उपाध्यक्ष पदेन
3.	विकास आयुक्त	सदस्य

4.	आयुक्त तथा सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
5.	सचिव, योजना तथा विकास विभाग	सदस्य
6.	सचिव, ग्रामीण विकास	सदस्य
7.	वित्त सचिव तथा आयुक्त, बिहार सरकार	सदस्य
8.	गैर सरकारी संस्थाओं से चार व्यक्ति, जो राज्य में शैक्षिक कार्यों में लगे हैं। इनमें एक महिला हों, जिनको राज्य सरकार मनोनीत करेगी	सदस्य
9.	सम्बन्ध राज्य स्तरीय संस्थाओं के पाँच प्रधानों तक, जो तकनीकी संसाधन विकास में लगे हों। इनको राज्य सरकार मनोनीत करेगी	सदस्य
10.	शिक्षकों के प्रतिनिधि, इनको राज्य सरकार मनोनीत करेगी।	सदस्यगण
	(क) तीन व्यक्ति, कम-से-कम एक महिला सहित, जो प्राथमिक शिक्षा का प्रतिनिधित्व करें,	
	(ख) तीन व्यक्ति, कम-से-कम एक महिला सहित, जो अनौपचारिक शिक्षा/वयस्क शिक्षा आदि में लगे अनुदेशकों तथा अन्य कर्मियों का प्रतिनिधित्व करें,	
	(ग) तीन शिक्षक जो बुनियादी शिक्षा पद्धति की अपनी प्रतिबद्धता के लिए ज्ञात हैं। इनमें कम-से-कम एक महिला होंगी।	
11.	तीन प्राथमिक विद्यालयों के प्राधानाध्यापक, जो प्रारम्भिक शिक्षा में अपनी नेतृत्व तथा आह्वानों के लिए ज्ञात हैं। इनमें कम-से-कम एक महिला होंगी।	सदस्यगण
12.	तीन प्रतिनिधि जिन्हें राज्य सरकार मनोनित करेगी जो विख्यात शिक्षाविदों, लेखकों, कलाकारों, कवियों एवं विषय विशेषज्ञों में से हों।	
13.	बिहार सरकार के अन्य पदेन प्रतिनिधि -	
	(क) परियोजना के चुने जिलों में जिला समितियों के छः प्रधान चक्रानुक्रम से जिनमें दो व्यक्ति प्रतिवर्ष वरीयता के आधार पर अवकाश प्राप्त करें।	

(ख) पांच विभागाध्यक्ष, जिनके कार्य बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित हैं।

(ग) जिला टास्क फोर्स के छः कार्यकारी प्रधान चक्रानुक्रम से, जिनमें से दो व्यक्ति प्रतिवर्ष वरीयता के आधार पर अवकाश प्राप्त करें।

14. केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि -

(क) केन्द्र सरकार के तीन प्रतिनिधि, जिन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), भारत सरकार मनोनीत करेगी।

(ख) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

(ग) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।

(घ) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली।

15. केन्द्र सरकार के अन्य मनोनीत

(क) प्रारम्भिक

(क) तीन व्यक्ति, बुनियादी शिक्षा कार्यक्रमों में विशेष रूचि रखने वाले, जिनमें कम-से-कम एक महिला हों।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग में लगी संस्थाओं के दो प्रधान/प्रतिनिधि।

16. यूनिसेफ के दो प्रतिनिधि :- सदस्यगण

17. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वालों में से प्रत्येक में दो व्यक्ति, प्रत्येक कोटि में एक व्यक्ति केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे। सदस्यगण

18. पाँच महिलाएँ, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त कर ली है, इनमें से दो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत और तीन केन्द्र सरकार द्वारा। सदस्यगण

19. कार्यकारिणी समिति के वे सभी सदस्य जो ऊपर सम्मिलित नहीं हुए। सदस्यगण

20. राज्य परियोजना निदेशक सदस्यगण